5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

176

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध-9259-I-16

प्रकरण कमांक —एक/2016 विविध

ज्ञानवती पत्नी भवानीसिंह पुत्री रघुनाथनाथ सिंह ठाकुर

ग्राम— कैडी, तहसील व जिला— छतरपुर — आवेदक

श्री एस० के० बाजपेयी
21-11-16

विरूद्ध

21-11-16

मध्यप्रदेश शासन ——अनावेदक

562
21-11-16

आवेदन पत्र वास्ते संशोधन

माननीय न्यायालय आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत हैः—

1. यह कि आवेदिका ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था उक्त पुनरीक्षण में दिनांक 25—7—2016 को निर्णय हो गया है.
2. यह कि, निर्णय के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आदेश के शीर्षक में ज्ञानवती पत्नी भवानीसिंह पुत्री रघुनाथसिंह ठाकुर के स्थान पर ज्ञानवती पत्नी भवानीसिंह पुत्री भवानीसिंह अंकित हो गया है.तथा प्रकरण के अंतिम पृष्ठ पर प्रकरण कमांक 2279 के स्थान पर 2278 अंकित हो गया है.
3. यह कि, उक्त त्रुटि टाईपिग की त्रुटि होकर उसके संशोधन से आदेश की प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन नही होगा.

अतएव प्रार्थना है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 2279—एक/2015 में पारित आदेश दिनांक 25—7—2016 के शीर्ष में ज्ञानवती पत्नी भवानीसिंह पुत्री भवानी सिंह के स्थान पर पुत्री रघुनाथसिंह ठाकुर तथा अंतिम पृष्ठ पर प्रकरण कमांक 2278 के स्थान पर 2279 अंकित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाये.

इति दिनांक 21—11—2016 आवेदक

द्वारा अभिभाषक
एस0के0 वाजपेयी

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9259–एक/16 जिला –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.1.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित होकर उनके द्वारा आवेदन पत्र वास्ते भूल सुधार का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 2279–एक/15 में पारित आदेश दिनांक 25.7.16 में आदेश के शीर्षक में ज्ञानवती पत्नी भवानी सिंह पुत्री रघुनाथ सिंह ठाकुर के स्थान पर ज्ञानवती पत्नी भवानी सिंह पुत्री भवानीसिंह अंकित हो गया है तथा प्रकरण के अंतिम पृष्ठ पर प्रकरण क्रमांक निगरानी 2278–एक/15 हो गया है जबकि प्र0क0 निग0 2279–एक/15 है। उपरोक्त संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा आदेश के शीर्षक में ज्ञानवती पत्नी भवानी सिंह पुत्री भवानी सिंह के स्थान पर ज्ञानवती पत्नी भवानी सिंह पुत्री रघुनाथ सिंह पढा जावे एवं इसी प्रकार पृष्ठ अंतिम पर निगरानी प्रकरण क्रमांक निगरानी 2278–एक/15 के स्थान पर प्र0क0 निग0 2279–एक/15 पढा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	